



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-67/2022
दिनांक : 12.05.2022

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग विरोधी समिति संबंधी विनियम के अनुसरण में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 003/2003/का.आ./02-84/2019, दिनांक : 07.10.2019 को अधिक्रमित करते हुए रैगिंग विरोधी समिति (Anti Ragging Committee) का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :

1.	कुलपति	संस्था प्रमुख	: अध्यक्ष
2.	उप विभागीय अधिकारी/न्यायिक दंडाधिकारी, वर्धा या उनके प्रतिनिधि	जिला प्रशासन के प्रतिनिधि	: सदस्य
3.	उप पुलिस अधीक्षक या उनके नामित प्रतिनिधि	पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि	: सदस्य
4.	श्री प्रफुल्ल व्यास, तरुण भारत	स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधि	: सदस्य
5.	श्री मुरलीधर बेलखोड़े	युवा गतिविधियों से जुड़े गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	: सदस्य
6.	सुश्री जयश्री जयंत सिंह खामरे	अभिभावक प्रतिनिधि	: सदस्य
7.	श्री गौरव कुमार	वरिष्ठ विद्यार्थी प्रतिनिधि	: सदस्य
8.	सुश्री वेदिका मिश्रा	नवागन्तुक विद्यार्थी प्रतिनिधि	: सदस्य
9.	डॉ. सूर्य प्रकाश पाण्डेय	शैक्षणिक कर्मचारी प्रतिनिधि	: सदस्य
10.	सुश्री आरती गुडघे	गैर-शैक्षणिक कर्मचारी प्रतिनिधि	: सदस्य
11.	सहायक कुलसचिव (प्रवेश प्रकोष्ठ)		: सदस्य सचिव

यह कार्यालयादेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
12/05/22

प्रति (ईमेल द्वारा): उपर्युक्त सभी संबंधित

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. कुलपति कार्यालय
2. समस्त विभाग/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र
3. विश्वविद्यालय वेबसाइट
4. संबंधित पत्रावली